राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1841/2011/झुन्झुनूॅं

मैसर्स जवान कंसट्रक्शन प्रा.लि.
झुन्झुनूॅं
अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
झुन्झुनूॅं
प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मदन लाल मालवीय,सदस्य

उपस्थित

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक — प्रत्यर्थी की ओर से निर्णय

दिनांक 14.06.2017

निर्णय

अपीलार्थी–व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे **''अपीलीय अधिकारी''** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 120/आरवैट/झुन्झुनूॅं/10–11 में राजस्थान मूल्य परिविर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 82 के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 07.06.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–झुन्झुनूॅं (जिसे आगे **''सशक्त अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2010 में सृजित मांग राशि में से स्टोन डस्ट पर आरोपित अन्तर कर रू. 40,52,022/– व उस पर आरोपित ब्याज को यथावत रखते हुए शेष सृजित मांग को अपास्त किया गया है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2007–08 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 29.03.2010 पारित करते हुए आलोच्य अवधि में स्टोन डस्ट की बिक्री पर रू 6.00 प्रति टन से वेट चुकाया गया जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्टोन डस्ट पर 12.5 प्रतिशत की कर देयता मानते हुए स्टोन डस्ट की बिक्री रू. 3,24,16,098/–पर 12.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रू. 40,52,022/– तथा उक्त अन्तर कर को अदत्त मानकर उस पर ब्याज रू. 12,29,910/– कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया। इसके अतिरिक्त कर निर्धारण अधिकारी ने रिवर्स टैक्स रू. 30,89,223/–, शास्ति रू. 14,480/– व ब्याज रू. 9,37,054/– आरोपित किया। उक्त प्रकार से आरोपित अन्तर कर,ब्याज एवं शास्ति को अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर उन्होंने अपीलाधीन आदेश पारित कर रिवर्स टैक्स रू. 30,89,223/–, शास्ति रू. 14,480/– व ब्याज रू. 9,37,054/–अपास्त कर, स्टोन डस्ट की बिक्री रू. 3,24,16,098/–पर 12.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रू. 40,52,022/– तथा उक्त अन्तर कर को अदत्त मानकर उस पर ब्याज रू. 12,29,910/–को यथावत रखा है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्टोन डस्ट की बिक्री रू. 3,24,16,098/–पर 12.5 प्रतिशत की दर से

अन्तर कर रू. 40,52,022/– तथा उक्त अन्तर कर को अदत्त मानकर उस पर आरोपित ब्याज रू. 12,29,910/ को इस अपील विवादित किया गया है।

अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ12(63)एफ.डी/टैक्स/2005–84 दिनांक 11.09.2006 के अनुसार स्टोन डस्ट पर रू. 6.00 प्रति टन से कर देयता बनती है किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अविधिक तरीके से उस पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता मानकर करारोपण करने में भूल की है। उनका कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने स्टोन डस्ट पर रू. 6.00 प्रति टन से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया है। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ठेकेदार के द्वारा अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार ही कर वसूल कर जमा कराया है। उन्होंने कथन किया कि विद्वान अपीलीय अधिकारी एवं कर निर्धारण अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों की अनदेखी करते हुए स्टोन डस्ट पर 12.5 प्रतिशत की कर देयता मानकर अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया है, वह अनुचित है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील स्वीकार कर अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2062/2011/झुन्झूनूँ मैसर्स शिव स्टोन क्रशर्स उद्योग,झुन्झुनूँ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,वार्ड–प्रथम,झुन्झुनूँ में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2013 को उद्धृत करते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में भी स्टोन डस्ट पर रू. 6.00 प्रति टन से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया था,जिसको उचित नहीं मानते हुए स्टोन डस्ट पर 12.5 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की गई है। उन्होंने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण उक्त उद्धृत निर्णय से पूर्णतया आच्छादित होने से अपीलार्थी की अपील अस्वीकार योग्य है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड एवं उद्धृत निर्णय का अध्ययन किया गया । प्रकरण के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी ने वर्ष 2007–08 में स्टोन डस्ट की बिकी पर रू 6.00 प्रति टन से वेट चुकाया गया जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश पारित कर स्टोन डस्ट पर 12.5 प्रतिशत की कर देयता मानते हुए स्टोन डस्ट की बिकी रू. 3,24,16,098/–पर 12.5 प्रतिशत की दर से अन्तर कर रू. 40,52,022/– तथा उक्त अन्तर कर को अदत्त मानकर उस पर ब्याज रू. 12,29,910/– कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित किया गया।

उप राजकीय अभिभाषक की ओर से बहस के दौरान कर बोर्ड द्वारा अपील संख्या 2062/2011/झुन्झूनूँ मैसर्स शिव स्टोन क्रशर्स उद्योग,झुन्झुनूँ बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,वार्ड–प्रथम,झुन्झुनूँ में पारित निर्णय दिनांक 08.03.2013 को उद्धृत करते हुए कथन

किया कि उक्त प्रकरण में भी वर्ष 2007–08 में स्टोन डस्ट पर रू. 6.00 प्रति टन से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराया गया था,जिसको उचित नहीं मानते हुए स्टोन डस्ट पर 12.5 प्रतिशत की कर देयता निर्धारित की गई है। हस्तगत प्रकरण के तथ्य, उक्त उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त से पूरी तरह मेल खाने से यह प्रकरण उससे पूर्णतया आच्छादित है। कर बोर्ड के उक्त निर्णय के आलोक में अपीलीय अधिकारी का आदेश पूर्णतया उचित है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष